कार्यालयः–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)
(इच्छा की अभिव्यक्ति)

मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–(N)1720 (अनु0) दिनांक–18.06.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– 526 दिनांक– 03.06.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के लिये वित्तीय वर्ष– 2020–21 में लातेहार जिला के 09 प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में योजना स्थल पर बागवानी के लिये कलमी आम, अमरूद एवं नींबू का पौधा क्रय किया जाना है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा आम, अमरूद एवं नींबू के पौधा आपूर्ति करने हेतु 15 (पंद्रह) पौधशालाओं (Nursery) को सूचीबद्ध (Empanelled) किया गया है। अतः लातेहार जिला में पौधा अपूर्ति करने के लिये सूचीबद्ध 15 आपूर्तिकर्ता से पौधा क्रय करने के लिये न्यूनतम क्रय दर निर्धारण हेतु कोटेशन के लिये आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। कोटेशन आमंत्रण हेतू सूचीबद्ध नर्सरियों की विवरणी निम्नवत है – शक्ति नर्सरी, कटक उड़ीसा, राजमहल नर्सरी, साहेबगंज, झारखण्ड, न्यू देशप्राण नर्सरी एवं एग्रीकल्चर फार्म, विशुनपूर, पश्चिम बंगाल, असीमा नर्सरी, विशुनपूर पश्चिम बंगाल, नरायण होर्टिकल्चर नर्ससरी, कांके, रोड, रांची, ओम नर्सरी एवं होर्टिकल्चर फार्म, विशुनपूर, पश्चिम बंगाल, फल उद्योग नर्सरी, महिलांग, रांची, वृन्दावन नर्सरी, हरमू, रांची, आदित्या हाईटेक नर्सरी, कुडू, लोहरदगा, मे0 शान्ति नर्सरी, केवटिया, पश्चिम बंगाल, बानाश्री नर्सरी, पश्चिम बंगाल, ग्रीन गार्डन इन्टरप्राईजेज, जनप्रिय नर्सरी, बसिरहाट पश्चिम बंगाल, दास नर्सरी, फतेपुर, पश्चिम बंगाल, प्रकाश शीडस एण्ड नर्सरी, बिरसा बस स्टैण्ड, रांची। इसके अतिरिक्त अन्य पौधशालाओं (Nursery) की समर्पित निविदा अमान्य होगी।

अतः उपरोक्त सूचीबद्ध पौधशाला (Nursery) के ईच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक– 17.06.2020 तक पूर्वाह्न/ अपराह्न 11:00 बजे कार्यालय अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार में निविदा समर्पित कर सकते हैं। समर्पित निविदा दिनांक– 17.06.2020 को पूर्वाह्न/ अपराह्न 1:00 बजे जिला क्रय समिति एवं निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी।

मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी के लिये पौधा के आपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के माँग के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप पौधा की आपूर्ति करनी होगी :–

पौधा आपूर्ति के लिये शर्त :–

(A) आम पौधा (Grafted) :–

1. आम का पौधा आम्रपाली, मल्लिका हिमसागर, लंगड़ा, मालदाह एवं गुलाबखास प्रजाति का ही हो।
2. आम पौधा का कलम सिर्फ Veneer graft पद्धति से तैयार किया हुआ होना चाहिए।
3. पौधे का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग/ बिमारी नहीं हो व उसमे कम–से–कम 2–3 स्वस्थ शाखाएँ निकला हो।
5. पौधो की उम्र कम–से–कम 2 वर्ष हो।
6. पौधे में जहाँ कलम (Grafting) किया गया हो उसके ऊपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई समान हो।
7. तने (stock) की लम्बाई 1–1.5 फीट हो।
8. पौधा के थैला काला polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

(B) अमरूद पौधा (Grafted/ Layered) :–

1. पौधा अलाहाबाद सफेदा, अल्का मृदुला व लखनऊ– 49 (L-49) प्रजाति का हीं हो।
2. पौधा कलमी या Air layering होना चाहिए।

3. पौधों का लम्बाई 2'6'' से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों का उम्र कम से कम 01 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधों के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।
7. पौधा में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2 से 3 Fluses निकला हो।

(C) <u>नींबू पौधा (Grafted/ Layered)</u> :–

1. पौधा सिर्फ कागजी एवं साई शर्वती प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air layered हो।
3. पौधों का लम्बाई 2' से अधिक व 4' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों का उम्र कम से कम 01 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधों के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए।

कोटेशन डालने हेतु शर्त्त :–

- कोटेशन दिनांक–09.06.2020 से दिनांक–17.06.2020 को पूर्वाह्न/ अपराह्न 11:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं **कोटेशन दिनांक–17.06.2020 को पूर्वाह्न/अपराह्न 1:00 बजे** जिला क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
- आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रखण्ड के पंचायतों में अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसके लिए अन्य कोई भत्ता/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन के रूप में 5,000/– (पाँच हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के नाम से जमा करना होगा।
- कोटेशन स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्त्ता यदि समय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं, तो कोटेशन रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सशर्त कोटोशन स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताए कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
- वास्तविक आपूर्ति आदेश के आधार पर संबंधित पंचायत द्वारा बिल का भुगतान FTO के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।

Sd/- 08/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
लातेहार।